7.

सं0सं0–1/विविध–16/2020– 126(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 20/03/2025

विषयः– सीवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के भवन निर्माण, मशीनें एवं उपस्करों के क्रय एवं अन्य सम्बद्ध विविध कार्यों हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 568,84,00,000/– (रुपये पाँच सौ अड़सठ करोड़ चौरासी लाख) की लागत से स्वीकृत योजना के लिए राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" अतंर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध राशि रु0 14,00,00,000/–(रुपये चौदह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सीवान जिले मे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एव छात्रावास के भवन निर्माण, मशीनें एव उपस्करो के क्रय तथा अन्य सबद्ध विविध कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रु० 568,84,00,000/– (रुपये पॉच सौ अडसठ करोड चौरासी लाख) की योजना की विभागीय स्वीकृति राज्यादेश सख्या–810(1), दिनाक–28.08.2020 के द्वारा दी गयी है।

2–भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अबतक प्राप्त आवटनादेश एव अबतक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एवं निर्माण एजेन्सी (BMSICL)को आवटित राशि की विवरणी निम्नवत् है –

Sl. No.	GoI Sanction N0. & Date	Dept. Order No. & Date	Central Shares	State Shares
1.	U.14017/22/2015-ME-IIFTS-8030201(1), 24-06-21 U 14017/22/2015-ME-IIFTS-8030201(2), 24-06-21 U 14017/22/2015-ME-IIFTS-8030201(3), 24-06-21	02(7)ब, Dtd-03.08.2021	87,71,00,000	23,80,00,200
2.	-	332(7), Dtd-21.02.2022		34,67,00,000
3.	-	334(7), Dtd-28.11.2023	62,29,00,000	25,00,00,000
4.	-	457(7), Dtd-30.01.2024		16,53,00,000
5.	कुल योग		1,50,00,00,000	1,00,00,00,200

3– इस योजना हेतु अब तक राज्य योजना मद से आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है।

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश स0 एव दिनाक
1	2023–24	25,00,00,000	स0–197(7), दिनाक–28.08.2023
2	2023–24	20,00,00,000	स0–637(7), दिनाक–14.03.2024
3	2024–25	40,00,00,000	स0–499(7), दिनाक–10.03.2025
4	2025–26	10,00,00,000	स0–94(7), दिनाक–19.06.2024
	कुल–	95,00,00,000	

4– ज्ञातव्य है कि उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक– F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनांक–22.07 2025, पत्राक–F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एवं वित्त विभाग के पत्रांक–580/वि0, दिनांक–30.07.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025–26 Under Part-I" अतंर्गत प्रथम किस्त के रूप मे रु0 50 00 करोड की राशि इस परियोजना हेतु विमुक्त की गयी है।

5– उक्त परिप्रेक्ष्य में सीवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के भवन निर्माण, मशीने एव उपस्करो के क्रय एव अन्य सम्बद्ध विविध कार्यो हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाऍ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 568,84,00,000/– (रुपये पॉच सौ अडसठ करोड चौरासी लाख) की लागत से स्वीकृत योजना के लिए राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" अतर्गत प्रथम किस्त के रूप मे विमुक्त राशि के विरूद्ध राशि रु0 14,00,00,000/–(रुपये चौदह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाऍ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश स0–810(1), दिनाक–28.08.2020 मे अंकित शर्तो के आधार पर कराया जायेगा।

7– इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101 53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबधित/द्वितीय अनूपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3758/वि0, दिनांक–31 05 2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

9–इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऍ, बिहार, पटना होगे।

10– वित्त विभागीय पत्र सख्या–632वि०, दिनाक–04 07 2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या–10792/वि०, दिनाक–06 12 2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूजीगत परियोजनाओ से सबधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID............मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वियन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

11– वित्त विभागीय पत्राक–432/वि०, दिनांक–29 03 2023 एव पत्राक–580/वि०, दिनाक–30 07 2025 के आलोक मे ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13– अग्रिम राशि के निकासी के प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–1/विविध–16/2020 के पृष्ठ–54/टि0 पर प्राप्त है।

15–यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–16/2020– 126 (7A) /स्वा0, पटना, दिनाक– 20/03/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, सारण (छपरा)/जिला पदाधिकारी, सीवान/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7ए, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना एव प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सभी को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव